संख्या-35/2016/519/41-2016-32 यो0/12

प्रेषक,

शिव कुमार पाठक
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
पर्यटन
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ, दिनांक 19 मार्च, 2016

विषय- केन्द्रीय सहायता से बरेली सर्किट के अन्तर्गत बदायूँ एवं सम्भल के पर्यटन विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं0-2352/6-1-1(498)/यो0/2016, दिनांक 16-03-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- वित्तीय वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय सहायता से बरेली सर्किट के अन्तर्गत बदायूँ एवं सम्भल के पर्यटन विकास हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 626.80 लाख (रूपये छः करोड छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 39.81 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 39.81 लाख (रूपये उनतालीस लाख इक्यासी हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0 99/41-2014-32 यो0/12, दिनांक 24.01.2014 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से पी0आई0डी0डी0सी0 योजना डी-लिंक कर दिये जाने के पश्चात अब इस मद में भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नही होनी है। अतः शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना का वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। सचिव एवं महानिदेशक पर्यटन के स्तर पर दिनांक 24.06.2015 को सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय किया गया कि बरेली परिपथ के अन्तर्गत बदायूँ एवं सम्भल की विकास की योजनान्तर्गत 04 स्थलों-बडी सरकार, छोटी सरकार श्री हरिबाबा धाम तथा राजघाट बबराला में पर्यटन विकास के कार्य कराये जाने थे। इनमें से राजघाट बबराला के कार्यों को ड्राप करते हुए शेष 03

http://shasanadesh.up.nic.in

स्थलों- बडी सरकार, छोटी सरकार एवं हरिबाबा धाम पर कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु रू0 524.25 लाख धनराशि की आवश्यकता है।

4- अत: उक्त के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 में बरेली सर्किट के अन्तर्गत बदायूँ एवं सम्भल की योजनान्तर्गत 03 स्थलों-बडी सरकार, छोटी सरकार एवं हरिबाबा धाम के पर्यटन विकास हेतु संशोधित धनराशि रू0 564.06 लाख (रूपये पॉच करोड चौसठ लाख छ: हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं धनराशि रू0 262.12 लाख धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं -

1. भारत सरकार ने स्वीकृति पत्र सं0- 5 पीएनसी (66)/2012, दिनांक 31-03-2013 के द्वारा उक्त योजना अनुमोदित की है। उक्त स्वीकृत पत्र में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा। कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्ज देय नही होगा।
4. कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।
5. यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पडे।
7. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परियोजना के अन्तर्गत सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों के रख-रखाव/अनुश्रवण हेतु उचित व्यवस्था रहे।
8. योजना का अनुश्रवण शासन स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा एवं मासिक वित्तीय तथा भौतिक प्रगति राज्य सरकार एवं त्रैमासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3)- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत-80-सामान्य-104- संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(4)- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30-03-2015 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक-26 अगस्त, 2014 के द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव कुमार पाठक)
उप सचिव।

संख्या-35/2016/519(1)/41-2016 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0, लखनऊ।
3- मण्डलायुक्त, बरेली।
4- जिलाधिकारी, बरेली/बदायूँ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in